महोबा पुलिस

सर्किल- चरखारी, थाना-चरखारी

दिनांक- 09.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 37/26

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा "थाना समाधान दिवस" पर जनसुनवाई, शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश...।

आज दिनांक 09.05.2026 को "थाना समाधान दिवस" के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा थाना चरखारी पहुँचकर क्षेत्र से आए फरियादियों की समस्याओं की जनसुनवाई की गई। यह जनसुनवाई थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया तथा सभी शिकायतों के निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण का आश्वासन दिया गया। उन्होंने मौके पर ही राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर प्राप्त शिकायतों के शीघ्र समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना समाधान दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का पारदर्शी, त्वरित एवं न्यायसंगत निस्तारण सुनिश्चित करना है।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना श्रीनगर में उपस्थित रहकर जनसुनवाई की गई।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड द्वारा थाना पनवाड़ी में भी जनसुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच कर संयुक्त टीमों द्वारा मौके पर जाकर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक- 09.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 38/26

महोबा पुलिस

साइबर थाना - जपनद महोबा

साइबर क्राइम थाना महोबा की तत्पर कार्यवाही से ऑनलाइन धोखाधड़ी के तीन मामलों में कुल ₹1,66,000/- की धनराशि कराई गई वापस...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी साइबर श्री गौरव उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में जनपद महोबा में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा निरन्तर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में विभिन्न शिकायतकर्ताओं द्वारा अपने साथ हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिन पर साइबर क्राइम पुलिस थाना महोबा द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई—

1- आवेदक दौलत सिंह पुत्र जगत प्रसाद, थाना कोतवाली नगर द्वारा दर्ज शिकायत में कार्यवाही करते हुए ₹80,000/- (अस्सी हजार रुपये) की सम्पूर्ण धनराशि वापस कराई गई।

2- आवेदक तारिक मंसूरी पुत्र रहमत, थाना कोतवाली नगर की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए ₹65,000/- (पैंसठ हजार रुपये) की सम्पूर्ण धनराशि वापस कराई गई।

3- आवेदक उत्तम सिंह राजपूत पुत्र ओमप्रकाश, थाना कुलपहाड़ की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए ₹21,000/- (इक्कीस हजार रुपये) की सम्पूर्ण धनराशि वापस कराई गई।

तीनों प्रकरणों में साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा संबंधित बैंक/डिजिटल माध्यमों से समन्वय स्थापित कर कुल ₹1,66,000/- (एक लाख छियासठ हजार रुपये) की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

अपनी-अपनी धनराशि वापस प्राप्त होने पर सभी शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा साइबर क्राइम थाना पर उपस्थित होकर उच्चाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद पत्र प्रदान किया गया।

बरामदगी कराने वाली पुलिस टीम—

1. प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब त्रिपाठी
2. का0 पंकज कुमार 3. का0 अखिलेश कुमार 4. का0 मनीष कुमार सिंह

साइबर अपराध से बचाव हेतु आवश्यक सुझाव—

- किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक या मैसेज पर OTP, ATM पिन या बैंक विवरण साझा न करें।
- सोशल मीडिया/मैसेजिंग ऐप पर आए लालच भरे ऑफर से सावधान रहें।
- ऑनलाइन लेन-देन से पहले वेबसाइट/ऐप की प्रामाणिकता अवश्य जांचें।
- अनजान लिंक पर क्लिक न करें एवं अपने उपकरणों में अपडेटेड सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें।
- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल NCRP पोर्टल (cybercrime.gov.in) या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

दिनांक- 09.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 39/26

महोबा पुलिस

सर्किल- चरखारी, थाना-श्रीनगर

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना श्रीनगर में आयोजित समीक्षा बैठक— विवेचना निस्तारण, अपराध नियंत्रण पर सख्त निर्देश, रिक्रूट आरक्षियों से संवाद...।

आज दिनांक 09.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा थाना श्रीनगर का भ्रमण कर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना स्तर पर संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान Yaksha App के प्रभावी उपयोग, अपराधियों के Criminal Verification, डिजिटल साक्ष्य संकलन हेतु e-Sakshya के समुचित प्रयोग, विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण (60/90 दिवस के भीतर), अपराध की रोकथाम (Prevention of Crime) एवं लंबित NBW (गैर जमानती वारंट) की शत-प्रतिशत तामीला सुनिश्चित किए जाने के संबंध में विशेष बल दिया गया। प्रत्येक बिंदु की प्रगति का विस्तृत अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया कि सभी प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध विवेचना सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि अपराधियों की प्रभावी निगरानी एवं सत्यापन की कार्यवाही सतत रूप से की जाए तथा वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर लंबित NBW की तामीली शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। साथ ही, अपराध की रोकथाम हेतु संवेदनशील स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए आवश्यक पुलिसिंग कार्यवाही को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।

इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा थाना परिसर में नियुक्त रिक्रूट आरक्षियों के साथ संवाद स्थापित किया गया। संवाद के दौरान उन्हें पुलिस सेवा के मूल कर्तव्यों, अनुशासन, जनसंपर्क, टीम वर्क एवं आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा ईमानदारी, सतर्कता एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा थाना श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत प्रमुख मार्गों, बाजारों एवं संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। गश्त के दौरान स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनपद पुलिस महोबा द्वारा आमजन की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

महोबा पुलिस

दिनांक- 09.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 40/26

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर में अर्दली रूम का आयोजन, विवेचना निस्तारण व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

दिनांक 08.05.2026 की रात्रि में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर में अर्दली रूम का आयोजन कर समस्त विवेचकों के साथ लंबित विवेचनाओं की गहन एवं विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान प्रत्येक प्रकरण की प्रगति का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

उन्होंने निर्देशित किया कि विवेचनाओं में किसी प्रकार की अनावश्यक शिथिलता न बरती जाए तथा साक्ष्य संकलन की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं न्यायसंगत कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, गंभीर एवं संवेदनशील प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

अर्दली रूम के दौरान साइबर जागरूकता अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत जन-जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी, व्यापक एवं जन-केन्द्रित रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए गए।

इसके अतिरिक्त, यक्ष ऐप पर समस्त सूचनाओं का समयबद्ध अद्यतन, e-सम्मन प्रणाली के माध्यम से शत-प्रतिशत डिजिटल तामील, I-Raid ऐप के जरिए अपराधियों की नियमित चेकिंग/सत्यापन तथा e-साक्ष्य एवं SID पोर्टल पर साक्ष्य व केस डायरी का समय से डिजिटल अपलोड सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे समस्त कार्यवाही अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं तकनीक-आधारित बन सके।

साथ ही थाना क्षेत्र में नियमित पैदल गश्त एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित कर अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की निगरानी तथा आमजन की सुरक्षा एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।

दिनांक- 09.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 41/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना-कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 09.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 03 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.सुम्मी उर्फ सुम्मा पुत्र स्व0 पोटा प्रजापति उम्र 57 वर्ष निवासी सेला खालसा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 2.धूराम अहिरवार पुत्र लोटन उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम सेला खालसा थाना कुलपहाड जनपद महोबा 3.मुन्ना अहिरवार पुत्र कल्लू अहिरवार उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम सेला खालसा थाना कुलपहाड जनपद महोबा सम्बन्धित वाद संख्या क्रमशः 01/2019, 06/2019 व 03/2019 धारा 08 कैनाल एक्ट में मा0 न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सिचाई प्रखण्ड महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्तगण उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह
2.उ0नि0 अनुज प्रताप सिंह 3.उ0नि0 मोहम्मद शोएब
4.हे0का0 सुमित कुमार 5.का0 दिनेश कुमार सिंह
6.रि0आ0 शैलेश कुमार पाण्डेय

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.सुम्मी उर्फ सुम्मा पुत्र स्व0 पोटा प्रजापति उम्र 57 वर्ष निवासी सेला खालसा थाना कुलपहाड़ महोबा
2.धूराम अहिरवार पुत्र लोटन उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम सेला खालसा थाना कुलपहाड जनपद महोबा
3.मुन्ना अहिरवार पुत्र कल्लू अहिरवार उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम सेला खालसा थाना कुलपहाड महोबा

दिनांक- 09.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 42/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़

अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत महोबा में स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल,अग्नि सुरक्षा को लेकर किया गया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित...।

आज दिनांक 09.04.2026 को श्री शशांक सिंह, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत एवं ग्रीष्म ऋतु में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत जनपद में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा श्री महेन्द्र सिंह के नेतृत्व में अग्निशमन टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ जनपद महोबा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

इस दौरान स्वास्थ्य केंद्रों के स्टाफ एवं उपस्थित लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए अग्निशमन यंत्रों के सही एवं प्रभावी उपयोग की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही आग लगने की स्थिति में त्वरित एवं सुरक्षित प्रतिक्रिया देने के उपायों का प्रदर्शन कर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

अग्निशमन विभाग द्वारा यह संदेश दिया गया कि विशेषकर गर्मी के मौसम में थोड़ी सी असावधानी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए सभी संस्थानों एवं नागरिकों को सतर्क रहते हुए अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक है।

महोबा पुलिस एवं अग्निशमन विभाग द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे जनपद में अग्नि सुरक्षा के प्रति सजगता एवं तैयारी को और सुदृढ़ किया जा सके।

दिनांक- 09.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 43/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना – पनवाड़ी

मिशन शक्ति केन्द्र की पहल से 01 वर्ष से गुमशुदा युवती बरामद, काउंसलिंग उपरांत पति के साथ भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

गुमशुदगी नं0 07/2025 से संबंधित पीड़िता रक्षा पुत्री गया प्रसाद उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी ग्राम नटरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा आज दिनांक 09.05.2026 को उसके पति को सुपुर्द कर रवाना किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पीड़िता के पिता द्वारा उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।

थाना पनवाड़ी मिशन शक्ति केन्द्र की पहल पर पीड़िता रक्षा की काउंसलिंग कर उसका बयान अंकित किया गया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अपनी गुमशुदगी समाप्त करने तथा अपने पति महेन्द्र के साथ स्वेच्छा से रहने की इच्छा व्यक्त की।

पीड़िता को उसकी इच्छा के अनुरूप उसके पति के साथ सकुशल एवं सम्मानपूर्वक रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही मिशन शक्ति केन्द्र की प्रभावी पहल एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

दिनांक- 09.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 44/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना – पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 09.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम ने थाना हाजा में पंजीकृत किये गये मु.अ.सं. 37/26 धारा 137(2),87,65(1) बी0एन0एस0 व 5(2) पाक्सो अधिनियम से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त गोलू शर्मा पुत्र स्व0 रमेश शर्मा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मु0 गीता आश्रम के पास नया रामनगर उरई थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन को थानाक्षेत्र अन्तर्गत राठ तिराहा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया है। अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायिक हिरासत मे भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

गोलू शर्मा पुत्र स्व0 रमेश शर्मा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मु0 गीता आश्रम के पास नया रामनगर उरई थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. व.उ.नि. महेंद्र कुमार वर्मा
2. उ.नि. राम किशन यादव